न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

बसंता तनय तुलसिया चमार निवासी ललौनी, तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

//विरुद्ध//

म.प्र. शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 192–19 वर्ष 2011–12 में पारित आदेश 25 फरवरी 2012 से परिवेदित होकर प्रस्तुतः–

निगरानीकर्ता की ओर से सादर निम्न प्रार्थना हैः–

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, निगरानीकर्ता को भूमि ख.नं. 306 रकवा 1.161 हेक्टे. भूमि स्थित ग्राम ललौनी का व्यवस्थापन तहसीलदार छतरपुर के न्यायालीन प्र.क. 7/अ19/2001–02 में पारित आदेश दि. 27.06.2003 द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता राजेश कुमार मोदी निवासी वकायन द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी की गई, जो प्र0क0 158/निग./अ19/2003–04 के रुप में पंजीबद्ध कर निगरानीकर्ता को समुचित सुनवाई के अभाव में आदेश दि. 31.03.2006 द्वारा स्वीकार करते हुए वाद भूमि म.प्र. शासन चरनोई मद में दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में निगरानी प्र.क. 192अ–19 वर्ष 2011–12 प्रस्तुत की जो आदेश दि. 25.02.2012 के रुप में संक्षिप्त विवेचना कर निरस्त की गई हैं। अपर आयुक्त न्यायालय में शिकायतकर्ता द्वारा भी एक निगरानी उक्त विवादित खसरा नम्बर पर रिकार्ड रुम प्रभारी से मिलकर वर्ष 1983–84 के खसरे में ओवर राईटिंग कर अपना कब्जा दर्ज कराकर व्यवस्थापन कराने की मांग कराई गई थी, जिसे न्यायालयीन आदेश दि. 25.02.2012 द्वारा निरस्त की गई, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1240—दो/16 जिला —छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि.एवं आवेदक के हस्ताक्षर
21—4—16	निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी अपर आयुक्त सागर के निगरानी प्र0क0 158/अ—19/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 25.2.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । निगरानी के साथ विलंब माफ किये जाने के लिये धारा—5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र, शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2— निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को निगरानी एवं धारा—5 म्याद अधिनियम के आवेदन पर सुना गया । शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता को सुना गया । निगरानीकर्ता के विलंब मांफ किये जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में निगरानी में हुये विलंब को मांफ किया जाता है । 3—निगरानी आवेदन पत्र उठाये गये तर्को पर विचार कर निगरानीकर्ता के तार्को का श्रवण किया। निगरानीकर्ता अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता को तहसीलदार छतरपुर के प्र0क0 07/अ—19/2002—03 में पारित आदेश दिनांक 27.6.03 पुराने कब्जे को देखते हुये ख0न0 306 रकवा 1.161 है0 भूमि स्थित ग्राम ललौनी	

का व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया था। निगरानीकर्ता का व्यवस्थापन के विरूद्ध राजेश मोदी की झूठे आवेदन पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा निगरानी में प्रकरण समयावधि बाह्य ग्राह्य किया गया था, जबकि आवेदन पत्र निगरानी 90 दिवस के अंदर ही विचार की जा सकती है । अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा समय बाह्य आवेदन पर निगरानी के रूप स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 31.3.06 को निगरानीकर्ता का स्वीकृत व्यवस्थापन निरस्त करते हुए भूमि को चरनोई मद में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जबकि पूर्व से भूमि बंजर दर्ज है साथ ही निगरानीकर्ता कब्जेधारी एवं ग्राम समाज/पंचायत का पक्ष सुने बिना प्र0क0 4/अ-20-12011-12 में पारित आदेश समुचित सुनवाई के अभाव में एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निगरानी मेमों के समस्त कथन अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे । अधीनस्था न्यायालय में प्रस्तुत अपील की प्रति एवं खसरा नकल संबत 2009 से 2024 एवं वर्ष 1982-83 की खसरा नकल प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि, निगरानीकर्ता को जारी पटट्ा दखल रहित अधिनियम 2.10.1984 के पूर्व के कब्जे अनुसार बैधानिक रूप से निगरानीकर्ता को प्रदान किया गया था। पटटे एवं भू- अधिकारी ऋण पुस्तिका एवं लगान की रसीदें प्रकरण में संलग्न की हैं। जिसे निरस्त किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

4- उभयपक्षों के तर्को एवं रिकार्ड के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि, अपर कलेक्टर छतरपुर ने विलंब का समाधान कारक

तथ्य न होते हुये भी निगरानी को विलंब से ग्राह्य करते हुये निगरानी कर्ता की भूमि खसरा न0 306 रकवा 1.161 है0 स्थित ग्राम ललौनी जिसे निगरानीकर्ता द्वारा काबिल कास्त बनाने में एवं सिंचित करने में काफी श्रम एवं आर्थिक व्यय किया जा चुका है। जिसे कार्यवाहियों में छोटी छोटी गलतियों के आधार पर व्यवस्थापन आदेश/पटटा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं पाता हूँ साथ ही व्यवस्थापन के पूर्व एवं बाद में बंजर मद में दर्ज भूमि पर निस्तार पत्रक में गौचर दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 31.3.2006 निगरानीकर्ता एवं ग्राम समाज, पंचायत के अभिमत लिये बिना गौचर दर्ज किये जाने का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं साथ ही विवादित भूमि को प्रकरण कमांक 4/अ 20–1/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.5.2012 द्वारा बाह्य नजूल घोषित किये जाने का आदेश भी न्यायोचित नहीं पाया जाता है। अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में कोई विवेचना न कर पारित आदेश दिनांक 25.2.2012 बोलता हुआ आदेश की परिधि का न होने से निरस्त किया जाता है।

5– अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर के निगरानी प्र0क0 158/निग0/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2006 एवं बाह्य नजूल घोषित आदेश दिनांक 25.2.2012 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 7/अ–19/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 27.6.2003 यथावत रखते हुये, तहसीलदार छतरपुर को भूमि खसरा न0 306 रकबा 1.161 है0 स्थित ग्राम ललौनी में पूर्व राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। उभयपक्ष सूचित हों।

सदस्य